न्यायालय जिला कलेक्टर, पाली

पीठासीन अधिकारी:: श्री अंश दीप, आई.ए.एस

पंचायत निगरानी :: 68/2017 ::

जीसीएमएस नम्बर :: 2017/00482

प्रार्थी :—

1. स्वर्गीय मदन पुरी पुत्र बंशीपुरी, जाति गुरसाई, निवासी पातुस, पंचायत समिति जैतारण, जिला पाली राजस्थान
   - 1.1 श्रीमती रामकन्या पत्नी स्वर्गीय श्री मदनपुरी
   - 1.2 सुरजपुरी पुत्र स्वर्गीय श्री मदन पुरी,
   - 1.3 अशोक पुरी पुत्र स्वर्गीय श्री मदनपुरी

   तमाम जातिगण गोस्वामी, निवासी पातुस, तहसील जैतारण, जिला पाली राजस्थान
   - 1.4 श्रीमती पिंकी पत्नी गोपाल जी, पुत्री स्वर्गीय श्री मदन पुरी, निवासी राणीमल, तहसील जैतारण, जिला पाली
   - 1.5 रेखा पत्नी विनोद जी, पुत्री स्वर्गीय श्री मदन पुरी, जाति गोस्वामी, निवासी करमावास मालियान, तहसील रायपुर, जिला पाली
   - 1.6 श्रीमती सुमित्रा पत्नी भंवरपुरी, पुत्री मदन पुरी, जाति गोस्वामी, निवासी खेतावास, तहसील व जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :—

1. ग्राम पंचायत बिरोल, जरिये सरपंच, पता—गॉव बिरोल, तहसील जैतारण, जिला पाली
2. गुलाबपुरी पुत्र मांगूपूरी, जाति गुसाई, निवासी पातुस, तहसील जैतारण, जिला पाली

न्यायालय जिला कलेक्टर पाली (राजस्थान)

पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम, 1994

अधिवक्ता :— प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मनीष राजपुरोहित उपस्थित
अप्रार्थी की ओर से अशोक अरोड़ा उपस्थित

—:: नि र्ण य ::—

दिनांक :— 18/3/21

वकील प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जारी पट्टा संख्या 49 मिसल संख्या 3 प्रस्ताव संख्या ...... जारी दिनांक .... मिसल दायर दिनांक 15.12.1970 को [illegible] हेतु प्रस्तुत की गई है प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दर्ज [illegible] जाकर अप्रार्थीगण को जरिए नोटिस एवं ग्राम [illegible] किया गया जो पत्रांक ग्रा. प. बिरोल/17—18/66 दिनांक 10.11.17 के द्वारा प्रत्युत्तर [illegible] आशय का प्रेषित किया कि ग्रा.प. बिरोल में [illegible]छित रेकर्ड उपलब्ध [illegible]। बहस उभय पक्ष सुनी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:00 IST
Reason: SelfAttested

Ansh

जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश....................2

वकील प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि जैर निगरानी पट्टा बिना किसी आधार व अधिकार के एवं बिना जाँच किए पट्टा सख्या 49 अप्रार्थी संख्या 2 एवं फुसाराम के पक्ष में अव्यस्क बताते हुए जारी किया गया है जो निम्न आधारों पर खारिज योग्य है। 1. विवादग्रस्त पट्टा संख्या 49 जिस आबादी भूमी के भूखण्ड बाबत जारी किया गया है उस पर अप्रार्थी संख्या 2 एवं पूसाराम का कभी कब्जा नहीं रहा है। वादग्रस्त पट्टा के पड़ोस की भूमी प्रार्थी व उसके पिता बंशीपुरी जी के हक अधिकार की थी। तथा वर्तमान में भी प्रार्थी व उसके भाईयों का सामलाती आधिपत्य है उक्त परिसर के चारों तरफ उन्होंने पट्टिया खड़ी की है तथा उनका कच्चा पड़वा भी बना हुआ है। अप्रार्थी संख्या 2 का कभी भी उक्त पट्टा भूमी पर कब्जा नहीं रहा पट्टा देखने में ही कूटरचित तैयार किया जाना स्पष्ट प्रतीत होता है पट्टा किस दिनांक को जारी किया गया राशि कितनी व किस दिनांक को जमा की गई कहीं भी इन्द्राज नहीं है। मिसल का निर्णय कब किया गया दर्ज नहीं है। पट्टे सम्बन्धी मिसल नहीं बनाई गई। किसी प्रकार के नियम की पालना नहीं की गई। नियम 146 के तहत मौका निरीक्षण कर नक्शा तैयार नहीं किया गया है तीन पंचों की कमेटी का गठन कर रिपोर्ट प्राप्त नहीं की गई। नियम 147 के तहत किसी प्रकार का अंतरिम निर्णय नहीं लिया गया। पंचायत में प्रस्ताव ही नहीं लिया गया है तथा बिना नियमों की पालना के जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया गया है जो खारिज योग्य है सार्वजनिक आपति इश्तिहार जारी नहीं किया गया है भूमी के आधिपत्य की जांच नहीं की गई है विवादग्रस्त पट्टा पूसाराम को अवयस्क बताते हुए जारी किया गया है इससे भी पट्टा नियम विरूद्ध जारी किया जाना सिद्ध है तथा कचरी पत्नी गुलाबपुरी नाम की महिला ग्राम बिरोल में नहीं रहती थी उसका नाम पट्टे में दर्ज करते हुए पट्टा जारी किया गया है। विवादग्रस्त पट्टे से सम्बन्धित दस्तावेज मिसल आदि की मांग की जाने पर उन्होंने मिसल नहीं होने का लिखकर दिया है। इसमें भी कार्यवाही नही किया जाना सिद्ध होने से जैर निगरानी पट्टा खारिज योग्य है। न ही पट्टा जारी करने बाबत प्रस्ताव ही लिया गया है। अप्रार्थी द्वारा विवादग्रस्त भूखण्ड के पास निर्माण हेतु पत्थर डाले जाने पर प्रथम बार जानकारी हुई तो ग्राम पंचायत से जो नकले उपलब्ध हुई उनको प्राप्त कर यह निगरानी पेश की जा रही है उपरोक्त समस्त तथ्यों के आधार पर जैर निगरानी पट्टा खारिज किया फरमाया जावे।

वकील अप्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि निगरानी में वर्णित अनुसार जैर निगरानी आराजी प्रार्थी के आधिपत्य की बता रहे है जबकि प्रार्थीगण मदनपुरी , ढगलपुरी व भंवरपुरी द्वारा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत वाद संख्या 14/2012 के अनुसार जैर निगरानी आराजी वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती रूप से उपयोग उपभोग की है। तथा उक्त आराजी में प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण वादी एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों की धूणी कायम रहती थी। यह स्वीकार किया है इस प्रकार दोनों कथनों में विरोधाभाष है तथा विवाद उक्त विवादित चबूतरी का ही माना है। उक्त आराजी सिविल वाद के साथ प्रस्तुत नक्शा में ए बी सी डी से दशाई गई है। जिसके पास ही अप्रार्थीगण गुलाबपुरी का मकान है तथा उसके बाद में भवरपुरी ढगलपुरी व मांगूपुरी का मकान है। उक्त चबूतरी को शामलाती माना गया है। इस प्रकार विवाद पट्टे बाबत नहीं है आधिपत्य बाबत है हालांकि उक्त वाद बाद में प्रार्थीगण द्वारा विड्रो कर दिया गया था। प्रार्थीगण के हक में जो पट्टा जारी किया गया वह निःशुल्क पट्टा जारी किया गया है। जो आबादी भूमी में है जिसका नाम प्रतिवादी के वाद में अंकित अनुसार 13 गुणा 15 फिट है जो 195 वर्ग फिट है जो निःशुल्क जारी पट्टे की सीमा [illegible] अवयस्क होने के कारण पट्टा उनके माता जरिये कुदरती [illegible] कर जारी किया गया है। जिसमें किसी प्रकार की [illegible] से सम्बन्धी रेकर्ड पंचायत में नहीं है [illegible] 1970 में जारी जैर निगरानी पट्टा संख्या 49 मिसल संख्या 03 दिनांक 15.12.1970 की सूचना चाहने पर पंचायत ने अवगत कराया कि 1970 में जारी त[illegible] पट्टो की मिसले व इनसे सम्बन्धी रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नहीं है इस प्रकार बिना रेकर्ड के वकील प्रार्थी का यह कहना सर्वथा गलत है कि पट्टा जारी करने की प्रक्रिया ही पूर्ण नहीं की

Signature Not Verified
Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:00 IST
Reason: SelfAttested

Ansh
जिला कलेक्टर, पाली

क्रमश.....................3

गई है इस प्रकार ग्राम पंचायत में रेकर्ड नहीं होने को पट्टा खारिज करने का आधार नहीं माना जा सकता है। वकील प्रार्थी का यह कथन कि कचकी नाम की महिला ग्राम पंचायत बिरोल में ही नहीं थी। सर्वथा मिथ्या है क्योंकि कचकी अप्रार्थीगण गुलाबपुरी व पुसाराम पुत्रगण मांगुपुरी गोस्वामी की माता श्री तथा प्रार्थी अव्यस्क होने के कारण उनकी माता के नाम पट्टा गुलाब पुरी मांगू पूरी जरिये कुदरति वलिया माता कचकी देवी अंकन करते हुए जारी किया गया है। कचकी देवी के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति एवं मतदाता फोटो पहचान पत्र की प्रति भी पेश की गई है जो पत्रावली संलग्न है। जैर निगरानी पट्टा 1970 में जारी किया गया है निगरानी 2012 में पेश की गई है इस प्रकार 42 वर्षों बाद जैर निगरानी पट्टे को प्रश्नगत किया जाना न्यायोचित नही है। वकील अप्रार्थी द्वारा न्यायिक दृष्टांत 2015(4) DNJ(Raj) 1853 प्रस्तुत किया एवं जैर निगरानी पट्टे को यथावत रखा जाने हेतु निवेदन किया गया है।

बहस को ध्यान पूर्वक सुना गया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। ग्राम पंचायत द्वारा अपने पत्रांक ग्रा.पं.बिरोल/17–18/66 दिनांक 10.11.2017 के द्वारा लिखित में जैर निगरानी पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड पंचायत में उपलब्ध नही होने बाबत उल्लेखित किया है। तथा बिना रेकर्ड के पट्टा जारी करने की प्रक्रिया को प्रश्नगत करते हुए यह कथन किया गया कि ग्राम पंचायत द्वारा एक विधिवत प्रक्रिया के अनुसरण में पट्टा जारी नहीं किया जाने से खारिज योग्य है। लेकिन बिना रेकर्ड अवलोकन किए यह कहना सर्वथा मिथ्या एवं आधारहीन है कि पट्टा जारी करते समय प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया है न ही पट्टा सम्बन्धी रेकर्ड. पंचायत में नहीं होने को पट्टा खारिज करने का आधार माना जा सकता है। ऐसा भी नहीं है कि जैर निगरानी पट्टे सम्बन्धी ही मिसल वगैरा नहीं है वर्ष 1970 का ग्राम पंचायत में सम्पूर्ण मिसलें आदि पट्टो सम्बन्धी रेकर्ड नहीं है। अतः निगरानीकर्ता जैर निगरानी पट्टे बाबत अवैधानिकता, अनियमितता, अशुद्वता को साबित करने में असफल रहा है।

अधिवक्ता प्रार्थी के सिविल वाद में वर्णित तथ्यात्मक कथन एवं निगरानी के तथ्य एवं कथनों में विरोधाभाष है तथा दोनों के अवलोकन से प्रतीत होता है कि मुख्य रूप से विवाद चबूतरी के आधिपत्य को लेकर है जिसका पंचायत निगरानी के द्वारा अन्तर्गत धारा 97 के द्वारा निस्तारण संभव नहीं है। हक आधिपत्य का निस्तारण सिविल वाद के जरिये ही संभव है धारा 97 पंचायत राज अधिनियम पट्टे को प्रश्नगत कर यह अनुतोष प्राप्त नहीं किया जा सकता है प्रश्नतगत पट्टे को 42 वर्षों बाद प्रश्नगत किया है जो वकील अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत 2015(4) DNJ(Raj) 1853 इस प्रकरण में पूर्ण रूप से चस्पा होता है जिसके अनुसार "राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994–धारा 97–24 वर्ष बाद आवंटित भूमि का पट्टा निरस्त करने हेतु निगरानी पेश की–अधिनियम में परिसीमा का प्रावधान नही–असामान्य विलम्ब के बाद निगरानी ग्रहण नहीं की जा सकती–युक्तियुक्त समय में पक्षकार को निगरानी पेश करनी चाहिये और सिविल कार्यवाही पेश करने हेतु अवधि दिशा निर्देश कारक होनी चाहिये–निर्णीत, निगरानी क्षेत्राधिकारिता का उपयोग करने में अतिरिक्त कलेक्टर ने कोई त्रुटि नहीं की है–आदेश में हस्तक्षेप नहीं किया।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी खारिज की जाती है तथा जैर निगरानी पट्टा संख्या 49 दिनांक.....मिसल संख्या 3 दायरा दिनांक 15.12.70 के जारी आदेश की पालना में ग्राम पंचायत बिरोल द्वारा जारी किया गया उसे यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 18/3/21 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ansh Deep Ralh
Date: 2021.08.16 19:26:00 IST
Reason: SelfAttested

(अंश दीप)
जिला कलक्टर, पाली
जिला कलेक्टर, पाली